संख्या-668/2017/2391/22-2-2016-17(43)/2006

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 17 अगस्त, 2017***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बल्लू पुत्र श्री हुसैन तकी उर्फ रमजानी निवासी जनपद-बुलन्दशहर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-42941/प्रोबे0-5-द0या0 बैठक-28.10.2016 दिनांक 02.12.2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी बल्लू पुत्र श्री हुसैन तकी उर्फ रमजानी, निवासी-ग्राम-सांखनी, थाना-जहांगीराबाद, जनपद-बुलन्दशहर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 01.02.1989 को 20 अन्य सहअभियुक्त के साथ मिलकर आग्नेय अस्त्रों एवं धारदार हथियारों से 11 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी है। उक्त अपराध के लिए बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या- 245/1989 में भा0द0वि0 की धारा-148, 332, 307, 302/149 के अन्तर्गत मा0 षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुलन्दशहर के आदेश दिनांक 10.08.1992 द्वारा मृत्युदण्ड से दण्डित किया गया। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.05.1994 द्वारा मृत्युदण्ड को आजीवन कारावास की सजा में परिवर्तित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.10.2016 तक 25 वर्ष 04 माह 20 दिन की अपरिहार सजा तथा 32 वर्ष 08 माह 04 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी के 04 अन्य सहअभियुक्त मा0 सत्र न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 02 अन्य सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त, 01 अन्य सहअभियुक्त मा0 उच्च न्यायालय के आदेशानुसार जमानत पर रिहा होने के उपरान्त पुन: कारागार में दाखिल नहीं हुआ, 03 अन्य सहअभियुक्तों की मृत्यु हो चुकी है तथा 10 अन्य सहअभियुक्त कारागार में सजा भुगत रहे हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा कारित अपराध की प्रकृति, जिला मजिस्ट्रेट तथा पुलिस अधीक्षक की आख्या के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी बल्लू (बन्दी संख्या-7301) पुत्र श्री हुसैन तकी उर्फ रमजानी, निवासी-जनपद- बुलन्दशहर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-668/2017/2391/(1)/22-2-2016 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in